फा.सं. जेड-14014/2/2020-जीसी (ई-3010062)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 18.11.2020

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: अक्तूबर, 2020 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के प्रमुख कार्यकलापों का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 एवं 11.10.2018 के पत्रांक 1/26/1/2018-कैब. का संदर्भ लेने और इस पत्र के साथ अक्तूबर, 2020 के लिए भूमि संसाधन विभाग के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नक: यथोक्त।

अर्जुन राणा

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1) भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2) भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3) भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4) उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5) सभी सचिव, भारत सरकार।
6) निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7) तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव।

भूमि संसाधन विभाग द्वारा अक्तूबर, 2020 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का मासिक सार

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) दिशा-निर्देशों के नई पीढ़ी वाटरशेड विकास घटक पर दिनांक 08.10.2020 को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया।

लोक सभा की सरकारी आश्वासन समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया गया और लोक सभा में 30 लंबित आश्वासनों को स्थिति की समीक्षा की गई।

रक्षा मंत्रालय को दिनांक 22.10.2020 को अरुणाचल प्रदेश में कुछ विशिष्ट भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खंड (ड.) के उपखंड (V) के अधीन एक मामले में "समुचित सरकार" अधिसूचित किया गया था।

भूमि अभिलेखों और रजिस्ट्रीकरण डाटाबेस के साथ ई-न्यायालय को जोड़ने के लिए सचिव, न्याय विभाग की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 15.10.2020 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भूमि संसाधन विभाग द्वारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में भूमि अभिलेखों और रजिस्ट्रीकरण डाटाबेस के साथ ई-न्यायालय को जोड़ने के लिए प्रायोगिक परियोजना आरंभ करने हेतु एक दल का गठन किया जाए।

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 07.10.2020 को भूमि संसाधन विभाग के रेजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेसिलिएन्स थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट (आरईडब्ल्यूएआरडी) कार्यक्रम सहित विश्व बैंक कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और विश्व बैंक टीम को समय-सीमा के अनुसार आगे बढ़ने का सुझाव दिया गया। आरईडब्ल्यूएआरडी की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के अनुमोदन के पश्चात 29.10.2020 को आर्थिक कार्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया गया है।

राज्यों में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सचिव (भूमि संसाधन) की अध्यक्षता में दो वीडियो कॉन्फ्रेंस क्रमशः दिनांक 14.10.2020 और 15.10.2020 को आयोजित की गई थी।